प्रकरण संख्या 83/2016 टेका बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 83/2014 में निर्णय दिनांक 14.6.2016 को करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी का आवेदन भी मूलवाद खारिज हो जाने के आधार उसी दिनांक को अर्थात 14.06.2016 को खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर मूलतः मूलवाद की अपील में उठाये गये तथ्यों को ही वर्णित किया है तथा बहस सुनने के बाद दिनांक 27.11.2018 को लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। चूंकि मूलवाद के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 84/2016 आज ही निर्णित की जाकर मूल अपील खारिज की जा चुकी है, तद्नुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की भी कोई पोषणीयता नहीं रहती है। अतएवं मूल वाद की अपील खारिज हो जाने से यह अपील भी पोषणीय नहीं रहने के आधार पर खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.06.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 83/2016 टेका बनाम सरकार